



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 761]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 19, 2006/आषाढ़ 28, 1928

No. 761]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 19, 2006/ASADHA 28, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2006

का.आ. 1137(अ).—जबकि, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने जिन्हें स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1988 में अवैध व्यापार की रोकथाम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत विशेषतौर शक्तियां प्रदान की गई हैं, ने उक्त उप-धारा के अंतर्गत जारी दिनांक 10-3-2006 की आदेश फा. सं. 801/2/2006-पी आई टी एन डी पी एस में निर्देश दिया गया है कि श्री राजबलि पासवान, पुत्र श्री सोहराय राम, निवासी गौसगंज, गंगीपुल, समशान घाट के निकट, आरा (बिहार) को स्वापक औषधियों के अवैध व्यापार में उन्हें शामिल होने से रोकने की दृष्टि से बंदी बनाया जाए और केन्द्रीय कारागार, बक्सर (बिहार) में हिरासत में रखा जाए।

2. जबकि, केन्द्र सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उपर्युक्त व्यक्ति फरार है अथवा अपने आपको छिपाया हुआ है ताकि उक्त आदेश का निष्पादन न हो सके।

3. अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा उपर्युक्त व्यक्ति को इस आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर श्री एन. एन. उपाध्याय, आसूचना अधिकारी, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, एस-18/38, ललित बिहारी सेन मार्ग, टक्काल, नादेसर, चाराणसी-221002 के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश देती है।

[फा. सं. 801/2/2006-पी आई टी एन डी पी एस]

वी. के. शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 19th July, 2006

S.O. 1137(E).—Whereas, the Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 issued Order F. No. 801/2/2006-PITNDPS dated 10-3-2006 under the said sub-section directing that Shri Rajbali Paswan S/o Shri Sohrai Ram R/o Gausganj, Gangipul, near Samshan Ghat, Ara (Bihar), be detained and kept in custody in the Central Jail, Buxar (Bihar) with a view to preventing him from engaging in illicit trafficking of Narcotic Drugs.

2. Whereas, the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before Shri N. N. Upadhyay, Intelligence Officer, Narcotics Control Bureau, S-18/38, Lalit Behari Sen Marg, Taxal, Nadesar, Varanasi-221002, within 10 days of the publication of this Order in the Official Gazette.

[F. No. 801/2/2006-PITNDPS]

V. K. SHARMA, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2006

का.आ. 1138(अ).—जबकि, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने जिन्हें स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1988 में अवैध व्यापार की रोकथाम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत विशेषतौर शक्तियां प्रदान की गई हैं, ने उक्त उप-धारा के अंतर्गत जारी दिनांक 10-3-2006 की आदेश फा. सं. 801/3/2006-पी आई टी एन डी पी एस में निर्देश दिया गया है कि श्री हेमन्त कुमार, पुत्र श्री भगवान राम, निवासी गौसगंज, गंगीपुल, समशान घाट के निकट, आरा (बिहार) को स्वापक औषधियों के अवैध व्यापार में शामिल होने से उन्हें रोकने की दृष्टि से बंदी बनाया जाए और केन्द्रीय कारागार, बक्सर (बिहार) में हिरासत में रखा जाए।

2. जबकि, केन्द्र सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उपर्युक्त व्यक्ति फरार है अथवा अपने आपको छिपाया हुआ है ताकि उक्त आदेश का कार्यान्वयन न हो सके।

3. अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा उपर्युक्त व्यक्ति को इस आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर श्री एन. एन. उपाध्याय, आसूचना अधिकारी, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, एस-18/38, ललित बिहारी सेन मार्ग, टक्साल, नादेसर, वाराणसी-221002 के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश देती है।

[फा. सं. 801/3/2006-पी आई टी एन डी पी एस]

वी. क. शर्मा, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 19th July, 2006

S.O. 1138(E).—Whereas, the Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 issued Order F. No. 801/3/2006-PITNDPS dated 10-3-2006 under the said sub-section directing that Shri Hemant Kumar, S/o Shri Bhagwan Ram, R/o Gausganj, Gangipul, near Samshan Ghat, Ara (Bihar), be detained and kept in custody in the Central Jail, Buxar (Bihar) with a view to preventing him from engaging in illicit trafficking of Narcotic Drugs.

2. Whereas, the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the Order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before Shri N. N. Upadhyay, Intelligence Officer, Narcotics Control Bureau, S-18/38, Lalit Behari Sen Marg, Taxal, Nadesar, Varanasi-221002, within 10 days of the publication of this Order in the Official Gazette.

[F. No. 801/3/2006-PITNDPS]

V. K. SHARMA, Under Secy.